

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/11/24

पडावली पैरा हुई अविपक्षी  
 वारीया उप- बहम हुक्का  
 कृती गरी • विभाजन उल्लाप  
 उपाधिग रिती के अनुलय हीने  
 वारीया डा वाउ वउ अतिन  
 निर्णम न रिती रिमा जान  
 निर्णम व रिती की सुपड मे रिनि  
 उल्लाप रेलजग पडावली  
 रिचा गेया। पडावली हुक्म  
 सुमाए होरु नम्बर रे उम  
 हो।

(वीनु देवना)  
 सहायक कमिश्नर का  
 उपस्थित अधिकाारी  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

# मूल वाद मे प्राथमिक डिक्री

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास  
श्री बीनू देवल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. श्रीमती भगवती देवी पत्नी नंदलाल चन्देल नि.मकान नम्बर 132 कैलाशपुरी मधुवन  
सेंती चित्तौडगढ

—वादीया

बनाम

1. उरजन लाल पिता शम्भु गर्जर नि. लाल जी का खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ
2. सत्यनारायण पिता शम्भु गर्जर नि. लाल जी का खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ
3. देवीलाल पिता शम्भु गर्जर नि. लाल जी का खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ
4. सायरी पिता शम्भु गर्जर नि. लाल जी का खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ
5. संतोष पिता शम्भु गर्जर नि. लाल जी का खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ
6. रतन पिता नारायण गर्जर नि. लाल जी का खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ
7. कंकू पुत्री नारायण गुर्जर नि. लाल जी का खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ
8. नन्दू बाई नारायण गुर्जर नि. लाल जी का खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ
9. सरीकिशन पिता खेमराज गुर्जर नि. लाल जी का खेडा तह.व जिला चित्तौडगढ
10. नन्दू पुत्री खेमराज गुर्जर फौत के बजाय —  
10/1 सुभाष पिता रामचन्द्र गुर्जर नि.नाडोलिया गुर्जर बस्ती चित्तौडगढ बूंदी रोड  
तह.व जिला चित्तौडगढ  
10/2 मदन पिता रामचन्द्र गुर्जर नि.नाडोलिया गुर्जर बस्ती चित्तौडगढ बूंदी रोड तह.  
व जिला चित्तौडगढ  
10/3 रतन पिता रामचन्द्र गुर्जर नि.नाडोलिया गुर्जर बस्ती चित्तौडगढ बूंदी रोड तह.  
व जिला चित्तौडगढ
11. चांदी पुत्री खेमराज गुर्जर फौत के बजाय —  
11/1 रतन पिता हीरालाल गुर्जर नि.सामरी तह. व जिला चित्तौडगढ  
11/2 श्रीलाल पिता हीरालाल गुर्जर नि.सामरी तह. व जिला चित्तौडगढ
12. पारस देवी पत्नी दिनेश कुमार खटीक नि.प्रतापनगर चित्तौडगढ तह.व जिला  
चित्तौडगढ
13. युनियन बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक युनियन बैंक आफ इण्डिया  
चित्तौडगढ
14. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब चित्तौडगढ



प्र.सं. 100/2020 (GCMS 2020/000264)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री संजय मौड की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री — की  
उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के  
लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादीया का  
वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लाल जी का खेडा प.ह. ओछडी तहसील चित्तौडगढ  
के खाता संख्या 04 मे अंकित आराजी संख्या 287, 288, 289, 290, 291 कीता 5 कुल


(बीनू देवल)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ (राज.)

कबा 1.30 हे. मे निहित वादीया का 1/4 हक हिस्सानुसार मौका पर कब्जे की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए तथा आवागमन हेतु सुलभ मार्ग रखते हुए बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता अलग कायम करने के आदेश दिए जाते है। प्रकरण मे तहसीलदार चित्तौडगढ को 1000/- अक्षरे एक हजार रूपए शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर उक्तानुसार मौका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा ट्रेस दो प्रति मे न्यायालय मे प्रस्तुत करें। कमिश्नर शुल्क वादीया वहन करेगा।

इस वाद के खर्च -- प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा -- को दी जावे। यह आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



  
(बिनु देवल)  
सहायक कमिश्नर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)